९/५/१८	राजस्व लोक अदालत अभियान ... जाने के संबंध में राजस्व ग्रुप-1 विभाग के पत्र दिनांक 21.04.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना में आज यह पत्रावली मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरी राय में प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किये जाने योग्य है। अतः पत्रावली उपखण्ड कार्यालय को नोटिस जारी होकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक 23/5/18 को जटियाना पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अलवर
२३-५-१८.	पत्रावली "न्याय आपके द्वार-2018", राजस्व लोक अदालत, अटल सेवा केन्द्र, ग्रा.प. जटियाना में पेश हुई। वादी ने राजस्व-वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त-अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख० नं० 542 रकबा 10 बीसवा हाल ख० नं० 955 रकबा 12 ऐयर वाके ग्राम जटियाना पूर्व में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक बिला लगानी दरस्ती जिस पर राज. काश्त अधिनियम तथा बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ उसके पूर्व से वादी के पिता उक्त आराजी पर काबिज रहे। जिसका खसरा गिरदावरी सम्वत 2045 से 2048 में वादी बहैसियत काश्तकार दर्ज है। ऐसी अवस्था में वादी विवादित आराजी का गत 50 सालों से अधिक समय से निरन्तर काबिज काश्तकार है। वादी को विवादित

05364

में जारी हुए

आराजी से बेदखल नहीं किया गया है न हि इस बाबत कोई विधिक कार्यवाई हुई है। ऐसी स्थिति में कब्जा मुखालफाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

पैरोकार सरकार तहसीलदार अलवर ने वाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत 2068-71 में खाता नं. 395 पर सिवायचक कस्टोडियन दर्ज है। हाल आराजी ख.नं. 960 रकबा 0.24 पर बुद्धसिंह आदि दर्ज है। जिसका सिंचाई का साधन ख.नं. 846 से सिंचित होना बताया है। वाद में वादी ने ख.नं. 955 में सिंचित होना बताया है जो गलत है। वादी ख.नं. 955 पर अवैध काबिज है, जो आवंटित किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना संभव नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार के जवाब पर मनन किया। विवादित आराजी संवत 2020 से ही कस्टोडियन-सिवायचक बिलालगानी दर्ज है। वादी विवादित आराजी पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। वादीगन का मात्र यह कथन है कि राज. काश्त. अधिनियम व बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के पूर्व से विवादित आराजी पर उनके बुजुर्गों का कब्जा था, किन्तु वादी गण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम लागू होने के पूर्व से उनका कब्जा है। वादी मात्र कब्जे के आधार पर, विवादित आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर राजकीय आराजी पर धारा 88, 89, 186 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार में हो।

दलेर सिंह
एडवोकेट
बेंच सदस्य
राजस्व लोक अदालत

नीलाम सक्सेना
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, अलवर